

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 221 सन 2022

अनवान :-

1. भरतसिंह पुत्र कालुराम जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. कालुराम पुत्र हमीरजी जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर ।
2. रणजीत पुत्र हमीरजी जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
3. तेजाराम पुत्र हमीरजी जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
4. परेम कुमार पुत्र कालुराम जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
5. गेखा पुत्री हमीरजी जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
6. प्रमेश्वरी पुत्री हमीरजी जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
7. जमना पुत्री कालुराम जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
8. हिरादेवी पुत्री कालुराम जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
9. मोनिका देवी पुत्री कालुराम जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 20/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्रय का पेश किया गया की रोही मौजा चक मन्दराना के खाता संख्या 21/22 की कुल 6.6770 हैक् व रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 199/186 की कुल 1.1260 हैक् भूमि नानुदेवी पत्नी हमीरा के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नानुदेवी पत्नी हमीरा के नाम से दर्ज थी नानुदेवी पत्नी हमीरा वादी की दादी है नानुदेवी पत्नी हमीरा का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो नानुदेवी पत्नी हमीरा के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5, 6 वादी की बुआ और नानुदेवी पत्नी हमीरा की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की नानुदेवी पत्नी हमीरा के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नानुदेवी पत्नी हमीरा के नाम से दर्ज है जो वादी की दादी है नानुदेवी पत्नी हमीरा का देहान्त हो चुका है जिसके

22

जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार नानुदेवी पत्नी हमीरा के नाम दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भतिजो/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 10 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक मन्दराना के खाता संख्या 21/22 की कुल 6.6770हैव व रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 199/186 की कुल 1.1260हैव भूमि नानुदेवी पत्नी हमीरा के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नानुदेवी पत्नी हमीरा के नाम से दर्ज थी नानुदेवी पत्नी हमीरा वादी की दादी है नानुदेवी पत्नी हमीरा का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो नानुदेवी पत्नी हमीरा के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5, 6 वादी की बुआ और नानुदेवी पत्नी हमीरा की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक मन्दराना के खाता संख्या 21/22 की कुल 6.6770हैव व रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 199/186 की कुल 1.1260हैव भूमि नानुदेवी पत्नी हमीरा के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नानुदेवी पत्नी हमीरा के नाम से दर्ज है जो वादी की दादी है नानुदेवी पत्नी हमीरा का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार नानुदेवी पत्नी हमीरा के नाम दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर


20

इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक मन्दराना के खाता संख्या 21/22 की कुल 6.6770 हैक् में मृतका नानुदेवी पत्नी हमीरा का नाम कलमजन किया जाकर 2.816 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 तथा 2.804 है भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 बहिब शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जाती है तथा रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 199/186 की कुल 1.1260 हैक् भूमि में मृतका नानुदेवी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भरतसिंह पुत्र कालुराम जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. कालुराम पुत्र हमीरजी जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
2. रणजीत पुत्र हमीरजी जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
3. तेजाराम पुत्र हमीरजी जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
4. परेम कुमार पुत्र कालुराम जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
5. गेखा पुत्री हमीरजी जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
6. प्रमेश्वरी पुत्री हमीरजी जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
7. जमना पुत्री कालुराम जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
8. हिरादेवी पुत्री कालुराम जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
9. मोनिका देवी पुत्री कालुराम जाति राईका निवासी सिरगसर तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 221 सन 2022 निर्णय दिनांक- 20/04/2024

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक मन्दराना के खाता संख्या 21/22 की कुल 6.6770हैक में मृतका नानुदेवी पत्नी हमीरा का नाम कलमजन किया जाकर 2.816हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 तथा 2.804 है भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 4 बहिबे शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जाती है तथा रोही मौजा सिरगसर के खाता संख्या 199/186 की कुल 1.1260हैक भूमि में मृतका नानुदेवी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)